

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

भविष्य निधि कार्यालय के समीप

अरेरा हिल्स(हिन्दुस्तान पेट्रोल पम्प के पास) भोपाल

फोन नं 0755-2555726 फैक्स नं. 0755-2552899 ई-मेल mpprd.finance@mp.gov.in

= आदेश =

भोपाल, दिनांक /10/2019


क्रमांक/बजट/2019-20/

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये योजना

क्रमांक-6098(0102)-पंचायत भवन निर्माण हेतु अनुदान मद में विभाग को जारी आवंटन में से ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण हेतु द्वितीय किश्त के लिए संबंधित जिला पंचायतों को राशि जारी किये जाने हेतु विभाग द्वारा जारी प्रशासकीय स्वीकृति क्रमांक/पं0रा0/निर्माण-136/2019/13106-07, दिनांक 10.10.2019 के अनुक्रम में राशि रुपये 368800/- (राशि रुपये-तीन लाख अड़सठ हजार आठ सौ मात्र) के आहरण की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृत राशि "मांग संख्या"-53-शीर्ष-2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम- {198-ग्राम पंचायतों को सहायता}-योजना क्रमांक-(6098)-पंचायत भवन निर्माण हेतु अनुदान-0102-अनुसूचित जनजाति(सब स्कीम)-#42-सहायक अनुदान-009-पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से योजना क्रियान्वयन हेतु अनुदान, के अर्न्तगत विकलनीय होगा।


राशि का आहरण किया जाकर संलग्न सूची अनुसार जिला मंदसौर के बैंक खाता क्रमांक-3618697055 आई.एफ.एस.सी-CBIN0280771 में राशि अंतरित किया जाना सुनिश्चित करें। (आयुक्त द्वारा आदेशित)


संयुक्त संचालक(वित्त)
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश

पृष्ठांक/क्रमांक/बजट/2019-20/14088
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 21/10/2019

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को सूचनार्थ।
2. उप महालेखाकार(स्थानीय निकाय) म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
3. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
5. आयुक्त, कोष एवं लेखा म0प्र0भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. कोषालय अधिकारी, विन्ध्याचल भवन, भोपाल को सूचनार्थ।
7. संयुक्त संचालक(निर्माण) पंचायत राज संचालनालय की ओर आपके उपरोक्त प्रशासकीय आदेशों क्रमांक/पं0रा0/निर्माण-136/2019/13106-07, दिनांक 10.10.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ।
8. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, मुख्यालय की ओर एक अतिरिक्त प्रति के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. निज सहायक आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।


संयुक्त संचालक(वित्त)
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश